उत्तराखण्ड सरकार
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008
दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स न0 : 2669382 e-mail boardofrevenue-uk@gov.in

संख्याः–2708/4–सर्वे/रा0प0/2025–26 दिनांकःदेहरादून ~~अगस्त~~, 09 सितम्बर 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषयः– **पटवाडांगर, तहसील व जिला नैनीताल में स्थित 108 एकड़ (43.706 है0) भूमि जो वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज नही है, को भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–48 के अन्तर्गत ग्राम के अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने हेतु सर्वेक्षण एवं संक्रियाएँ के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के अधिसूचना पत्र संख्या 661/XVIII(3)/2025-03(09)/2025 दिनांक 04.09.2025 जो परिषद के साथ–साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल की तहसील नैनीताल के ग्राम पटवाडांगर में उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से ग्राम पटवाडांगर का सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएं प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः अधिसूचना संख्या 661 दिनांक 04.09.2025 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुए इस सम्बंध में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत ग्राम में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,
9/9/25
(मीनाक्षी पटवाल)
उप राजस्व आयुक्त

प्रतिलिपि–
1–आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन राजस्व विभाग, देहरादून को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–स्टाफ ऑफिर, राजस्व परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।

9/9/25
उप राजस्व आयुक्त

क्रमांक 22 दि 06/09/25

DRC(L.S.) श्री तुलसीराम
5/9/25

उत्तराखण्ड शासन,
राजस्व अनुभाग–3
संख्या: 661/XVIII(3)/2025-03(09)/2025
देहरादून: दिनांक: 04 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की दिनांक से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगे:–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गांव का नाम	कुल क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
नैनीताल	नैनीताल	छः खाता	पटवाडांगर	108 एकड (43.706 हे0)

(डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
सचिव, राजस्व।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

3– जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, नैनीताल।

4– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं मुद्रित अधिसूचना की हिन्दी व अंग्रेजी की 25–25 प्रतियां राजस्व अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रीता क्वीरा)
उप सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 661/XVIII(3)2025 ...... dated 04/09/2025 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
Revenue Section- 3
No. 661 /XVIII (3)/2025-03(09)/2025
DEHRADUN: DATED: 04 September, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette: -

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Total Area
1	2	3	4	5
Nainital	Nainital	Chha Khata	Patwadangar	108 Acre (43.706 hectare)

(Dr. Surendra Narayan Pande)
Secretary, Revenue